पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 29 सितम्बर, 2007 ई0 (आश्विन 07, 1929 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

80 वसन्त विहार, फेज–1, देहरादून– 248 006

अधिसूचना

16 जुलाई, 2007

No. F-9(18)/RG/UERC/2007/362–विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है:–

अध्याय–1 : प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ व व्याख्या :

(1) इन विनियमों का नाम "उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग [खोई (Bagasse) आधारित कोजेनरेशन परियोजनाओं के लिए शुल्क निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें] विनियम, 2007 होगा।

(2) इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) ये विनियम सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे तथा जब तक कि आयोग द्वारा इसके पहले पुनरावलोकन या विस्तारित न किये जाएं, 5 वर्ष की अवधि तक प्रवृत्त रहेंगे।

2. लागू होने की परिधि एवं विस्तार :

(1) जहां केन्द्र सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शकों के अनुरूप बोली लगाने की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से शुल्क अवधारित किया गया है, वहां आयोग ऐसे शुल्क को विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार अपनाएगा।

(2) ये विनियम उन सभी अन्य मामलों में लागू होंगे जहां उत्तराखण्ड में अवस्थित खोई (Bagasse) आधारित कोजेनरेशन परियोजनाओं के लिए शुल्क पूंजी लागत आधार पर आयोग द्वारा अवधारित किया जाना है।

यह विनियम अंग्रेजी विनियम दिनांक 04.08.2007 का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी तरह के निर्वचन (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम एवं मान्य होगा।

3. परिभाषाएं :

(1) 'अधिनियम' से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है।

(2) 'अतिरिक्त पूंजीकरण' से उत्पादक स्टेशन के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के पश्चात् वास्तविक रूप में हुआ पूंजीगत व्यय जिसे विनियम 15 के उपबंधों के अधीन कुशल जांच के पश्चात् आयोग द्वारा स्वीकार किया गया है, अभिप्रेत है।

(3) 'वार्षिक पी0एल0एफ0' से 1 वर्ष की अवधि के समरूप पी0एल0एफ0 अभिप्रेत है।

(4) 'प्राधिकरण' से अधिनियम की धारा 70 में संदर्भित "केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण" अभिप्रेत है।

(5) 'अनुषंगी ऊर्जा उपभोग' से एक अवधि के संबंध में, उत्पादक स्टेशन के अनुषंगी उपकरण द्वारा उपभोग की गयी ऊर्जा की मात्रा तथा उत्पादक स्टेशन के भीतर प्रवर्तक हानियां अभिप्रेत है तथा इसे उत्पादक स्टेशन की सभी इकाइयों के उत्पादक टर्मिनल्स पर उत्पादित कुल ऊर्जा के योग के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाएगा।

(6) एक उत्पादक स्टेशन के संबंध में 'फायदाग्राही' से वार्षिक स्थायी प्रभार के भुगतान पर ऐसे उत्पादक स्टेशन पर उत्पादित ऊर्जा क्रय करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है।

(7) 'आयोग' से उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग अभिप्रेत है।

(8) 'उत्पादन व्यवसाय' से विद्युत के उत्पादन के विनियमित कार्यकलाप अभिप्रेत हैं तथा इसमें चीनी उत्पादन, परामर्शीसेवा, दूरसंचार इत्यादि जैसे उत्पादक कंपनियों के अन्य व्यवसाय या कार्यकलाप सम्मिलित नहीं हैं।

(9) 'विभेदक तिथि' से उत्पादक स्टेशन के वाणिज्यिक परिचालन की तिथि के एक वर्ष पश्चात् पहले वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि अभिप्रेत है।

(10) 'वाणिज्यिक परिचालन की तिथि या सी.ओ.डी.' से एक यूनिट के संबंध में, फायदाग्राही को नोटिस देने के पश्चात् सफल परीक्षणन के माध्यम से संस्थापित क्षमता (आई.सी.) या अधिकतम निरंतर रेटिंग (एम.सी.आर.) प्रदर्शित करने के पश्चात् उत्पादक द्वारा घोषित तिथि अभिप्रेत है तथा उत्पादक स्टेशन के संबंध में वाणिज्यिक परिचालन की तिथि से उत्पादक स्टेशन की पिछली यूनिट के वाणिज्यिक परिचालन की तिथि अभिप्रेत है।

(11) 'वर्तमान उत्पादक स्टेशन' से 01.04.2007 से पहले की तिथि से वाणिज्यिक परिचालन के अधीन घोषित उत्पादक स्टेशन अभिप्रेत है।

(12) 'कुल ऊष्मक मूल्य (Gross Calorific Value)' या 'जी.सी.वी.' से ऊर्जा उत्पादन स्टेशन के संबंध में, ईंधन के एक किलोग्राम के पूर्ण दहन द्वारा kCal में उत्पादित ताप अभिप्रेत है।

(13) 'कुल स्टेशन ताप दर' या 'जी.एस.एच.आर.' से उत्पादक टर्मिनल्स पर विद्युतीय ऊर्जा के एक के.डब्ल्यू.एच. उत्पादित करने हेतु अपेक्षित kCal में ताप ऊर्जा इनपुट अभिप्रेत है।

(14) 'परिसंपत्ति की इतिवृत्त लागत' से वह लागत, यदि कुछ है, जो अनुदान, उपहार, सहायिकी इत्यादि के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूरी की गयी है, को छोड़कर परिसंपत्ति के सृजन की मूल लागत अभिप्रेत है।

(15) 'अशक्त ऊर्जा (Infirm power)' से एक उत्पादक स्टेशन की यूनिट में वाणिज्यिक परिचालन से पहले उत्पादित विद्युत अभिप्रेत है।

(16) 'संस्थापित क्षमता' से समय–समय पर आयोग द्वारा अनुमोदित उत्पादक स्टेशन (उत्पादक टर्मिनल्स पर गिने गये) की क्षमता या उत्पादक स्टेशन की सभी यूनिटों की नेमप्लेट क्षमता का आंकलन अभिप्रेत है।

(17) खोई (Bagasse) आधारित ऊर्जा उत्पादक स्टेशन की यूनिट के संबंध में 'अधिकतम निरंतर रेटिंग' या 'एम.सी.आर.' से दरीय मानदण्डों पर निर्माता द्वारा गारण्टीशुदा उत्पादक टर्मिनल्स पर अधिकतम निरंतर उत्पादन अभिप्रेत है तथा एक संयुक्त चक्र (Combined Cycle) खोई आधारित ऊर्जा उत्पादन स्टेशन की एक यूनिट या ब्लॉक के संबंध में जल/भाप इन्जैक्शन (यदि लागू हो) तथा 50 एच.जेड. ग्रिड फ्रीक्वेन्सी तक सुधारे हुए व विनिर्दिष्ट स्थल परिस्थितियों के साथ निर्माता द्वारा गारंटीशुदा, उत्पादक टर्मिनल्स पर अधिकतम निरंतर उत्पादन अभिप्रेत है।

(18) 'परिचालन व अनुरक्षण व्यय' या 'ओ. एण्ड एम. व्यय' से उत्पादक स्टेशन के परिचालन व अनुरक्षण व पुर्जो पर हुआ व्यय अभिप्रेत है तथा इसमें जनशक्ति, मरम्मत, पुर्जे, उपभोज्य, बीमा तथा उपरिव्यय सम्मिलित हैं।

(19) 'मूल परियोजना लागत' से शुल्क के अवधारण हेतु आयोग द्वारा स्वीकार की गयी पिछली यूनिट के वाणिज्यिक परिचालन की तिथि के एक वर्ष पश्चात् समाप्त पहले वित्तीय वर्ष तक परियोजना की मूल परिधि के अनुसार उत्पादक कंपनी द्वारा किया गया वास्तविक व्यय अभिप्रेत है।

(20) किसी दी गयी अवधि हेतु 'संयत्र भार कारक (Plant Load Factor)' या 'पी.एल.एफ.' से उस अवधि के दौरान कुल भेजी गयी ऊर्जा (ई.एस.ओ.) अभिप्रेत है जिसे उस अवधि में संस्थापित क्षमता के समरूप भेजी गयी ऊर्जा के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा इसकी गणना निम्नलिखित फॉर्मूले के अनुसार की जाएगी:–

$$\text{पी.एल.एफ.} = \frac{10 \times \text{ई.एस.ओ.}}{\{\text{आई.सी.} \times (100 - \text{ए.यू.एक्स.एन.}) \times \text{एच.}\}}$$

जबकि,

आई.सी. = एम.डब्ल्यू. में उत्पादक स्टेशन की संस्थापित क्षमता,

ई.एस.ओ. = अवधि के दौरान कुल भेजी गयी ऊर्जा (के.डब्ल्यू.एच. में),

ए.यू.एक्स.एन. = कुल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में मानकीय अनुषंगी ऊर्जा उपभोग,

एच. = अवधि में घंटों की संख्या।

(21) 'परियोजना' से खोई आधारित ऊर्जा उत्पादक स्टेशन अभिप्रेत है।

(22) 'राज्य सरकार' से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है।

(23) खोई आधारित ऊर्जा उत्पादक स्टेशन के संबंध में 'यूनिट' से भाप जेनरेटर, टर्बाइन जेनरेटर व अनुषंगी अभिप्रेत हैं या संयुक्त चक्र ऊर्जा उत्पादन स्टेशन के संबंध में टर्बाइन जेनरेटर व अनुषंगी अभिप्रेत हैं।

(24) वर्ष से एक वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

(25) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द व पद जो यहां परिभाषित नहीं किये गये हैं, किन्तु विद्युत अधिनियम, 2003 में परिभाषित किये गये हैं, उनका वही अर्थ होगा जो विद्युत अधिनियम, 2003 में नियत किया गया है।

अध्याय–2 :

खोई (Bagasse) आधारित कोजेनरेशन परियोजनाओं के लिए शुल्क अवधारण हेतु सामान्य निबंधन एवं शर्तें

4. शुल्क के अवधारण हेतु आवेदन :

(1) उत्पादक कंपनी, ऐसी सूचना व ऐसे प्रारूप में जैसे कि आयोग द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हो, के साथ उत्पादक स्टेशनों की पूर्ण यूनिटों के संबंध में शुल्क नियत करने हेतु एक आवेदन करेगी।

(2) 01.04.2007 या उसके पश्चात् वाणिज्यिक परिचालन के अधीन घोषित उत्पादक स्टेशन के मामले में शुल्क नियत करने के लिए आवेदन दो चरणों में किया जाएगा, अर्थात्:–

(ए) उत्पादक कंपनी, सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत् परीक्षित व प्रमाणित, आवेदन करने से पहले की तिथि या आवेदन करने की तिथि तक हुए वास्तविक पूंजीगत व्यय पर आधारित परियोजना में पूर्ण होने की पूर्वानुमानित तिथि के पहले अनंतिम शुल्क उत्पादक स्टेशन की संबंधित यूनिट के वाणिज्यिक परिचालन की तिथि से प्रभारित किया जाएगा;

(बी) उत्पादक कंपनी, सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत् परीक्षित व प्रमाणित, उत्पादक स्टेशन के वाणिज्यिक परिचालन की तिथि तक हुए वास्तविक पूंजीगत व्यय पर आधारित अंतिम शुल्क के अवधारण हेतु एक नया आवेदन करेगी।

(3) उत्पादक कंपनी, उतने वर्षों, जितने वर्षों के लिए वह शुल्क नियत कराना चाहती है किन्तु जो 5 वर्ष से अधिक न हो, के लिए विधिवत् विधिमान्य प्रक्षेपित वार्षिक डाटा शुल्क अवधारण हेतु आवेदन के साथ फाइल करेगी।

5. शुल्क अवधारण :

(1) इन विनियमों के अधीन उत्पादक स्टेशन के संबंध में शुल्क चरणवार, यूनिटवार या संपूर्ण उत्पादक स्टेशन हेतु अवधारित किया जाएगा।

(2) शुल्क के उद्देश्य हेतु परियोजना की पूंजीगत लागत चरणों में तथा भिन्न–भिन्न यूनिट परियोजना का भाग निरूपित करते हुए विभक्त की जाएगी। जहां पूंजीगत व्यय की यूनिटवार या चरणवार विभक्ति उपलब्ध नहीं है तथा प्रगति अधीन परियोजनाओं के मामले में सामान्य सुविधाएं, यूनिटों के संस्थापित क्षमता के आधार पर प्रमाणित की जाएंगी। चीनी, कागज व ऊर्जा अवयवों के साथ बहुउद्देशीय परियोजनाओं के संबंध में, केवल परियोजना के ऊर्जा अवयवों पर प्रभारित पूंजीगत लागत पर शुल्क अवधारण हेतु विचार किया जाएगा।

6. परिचालन के प्रतिमानक उच्चतम सीमा मानक होंगे :

शंका निवारण हेतु यह स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट परिचालन के प्रतिमानक उच्चतम सीमा प्रतिमानक हैं तथा यह उत्पादक कंपनी व फायदाग्राही को परिचालन के समुन्नत प्रतिमानकों पर सहमत होने से प्रवारित नहीं करेंगे तथा यदि समुन्नत प्रतिमानकों पर सहमति हो जाती है तो ऐसे समुन्नत प्रतिमानक शुल्क अवधारण हेतु लागू होंगे।

7. आय पर कर :

(1) इक्विटी पर रिटर्न पर उद्ग्रहणीय अधिकतम कर के अधीन अपने उत्पादन व्यवसाय से उत्पादक कंपनी के आय स्रोतों पर कर की एक व्यय के रूप में गणना की जाएगी तथा इसकी वसूली फायदाग्राही से की जाएगी।

(2) आय पर कोई अल्प वसूली या अधिक वसूली सांविधिक लेखा परीक्षक से प्रमाणित आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन आयकर निर्धारण के आधार पर प्रतिवर्ष समायोजित की जाएगी :

परन्तु उत्पादन व्यवसाय से इतर किसी आय स्रोत पर कर, शुल्क से पार जाने का अवयव नहीं होगा तथा ऐसी अन्य आय पर कर उत्पादन कंपनी द्वारा देय होगा :

परन्तु यह भी कि अग्रिम में एक वर्ष के लिए अनुमानित उत्पादन स्टेशनवार कर पूर्व लाभ सभी उत्पादक स्टेशनों को निगमित कर देयता के वितरण हेतु आधार रचित करेगा :

साथ ही यह भी कि, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुरूप टैक्स–होलीडे के लाभ फायदाग्राही को दिये जाएंगे।

आगे यह भी कि किसी अन्य समानरूप आधार के न होने पर अग्रेनीत हानियों तथा अनामेलित मूल्यह्रास (Unabsorbed depreciation) इस विनियम के दूसरे उपबंध में दिये अनुपात के अनुसार दिया जाएगा :

आगे यह भी कि उत्पादक स्टेशन को आवंटित आयकर फायदाग्राहियों को उसी अनुपात में प्रभारित किया जाएगा जिसमें कि वार्षिक क्षमता प्रभार।

8. कर निलंबलेख क्रियाविधि (Tax Escrow Mechanism) :

(1) फायदाग्राही एक अनुसूचित बैंक में ब्याज पाने वाला टैक्स एस्क्रो खाता रखेगा जिसमें ब्याज की सभी राशि जमा की जाएगी।

(2) कर देयता, प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ होने से दो माह पूर्व अनुमानित की जाएगी तथा फायदाग्राही को सूचित की जाएगी। उत्पादक कंपनी, फायदाग्राहियों से वसूलीय करों के कारण अपनी देयता को न्यूनतम करने का प्रयास करेगी।

(3) उत्पादक कंपनी, एस्क्रो होल्डर को उनके सांविधिक लेखा परीक्षक से यह प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर कि राशि तुरंत शोध्य है तथा विनिर्धारक प्राधिकारी को देय है।

(4) विनिर्धारक प्राधिकारी (Taxing Authority) से प्राप्त किसी धन वापसी को उत्पादक कंपनी टैक्स एस्क्रो खाते में जमा करेगी।

(5) यदि कोई धन वापसी है तो इसे फायदाग्राही को वापस नहीं किया जाएगा बल्कि एस्क्रो खाते में समायोजित किया जाएगा। कोई देय या वापसी योग्य राशि अगले वर्ष के लिए पुनर्वेषित की जाएगी।

(6) एस्क्रो खाता, फायदाग्राहियों की खाता बही में उनके बैंक खाते में प्रक्षेपित किया जाएगा।

9. आयकर की वसूली :

आयकर की वसूली, आयोग के समक्ष कोई आवेदन किये बिना, फायदाग्राही से उत्पादक कंपनी द्वारा सीधे की जाएगी :

परन्तु यदि आयकर के कारण किये गये दावे की राशि पर फायदाग्राही द्वारा कोई आपत्ति हो तो उत्पादक कंपनी निर्णय हेतु आयोग के समक्ष समुचित आवेदन कर सकती है।

अध्याय— 3 : परिचालन के प्रतिमानक

10. पूर्ण क्षमता (स्थायी) प्रभारों की वसूली हेतु लक्ष्य वार्षिक पी.एल.एफ. :

पी.एल.एफ$_{एन}$ = 45 प्रतिशत

11. प्रतिमानकीय कुल स्टेशन ताप दर :

जी.एस.एच.आर.$_{एन}$ = 3300 कि.कैलोरी प्रति के.डब्लू.एच

12. प्रतिमानकीय अनुषंगी उपभोग :

ऊर्जा के उत्पादन का ओक्जलरी$_{एन}$ = 8.5 प्रतिशत

13. खोई (**Bagasse**) का कुल ऊष्मा मूल्य (**Calorific value**) :

जी.सी.वी.$_{एन}$ = 2275 कि.कैलोरी प्रति कि.ग्राम

14. पूंजीगत लागत :

आयोग द्वारा कुशल जांच के अधीन, परियोजना के पूर्ण होने पर हुआ वास्तविक व्यय, अंतिम शुल्क के अवधारण का आधार तय करेगा। अंतिम शुल्क, प्रत्येक परियोजना के विवरण पर आधारित आयोग द्वारा स्वीकार किये पूंजीगत व्यय के आधार पर अवधारित किया जाएगा। किन्तु यह समर्पित पारेषण लाईन की लागत तथा प्राप्तकर्ता के छोर तक विद्युत 'बे' की लागत सहित रु0 3.5 करोड़/एम.डब्ल्यू. की अधिकतम ऊपरी सीमा की शर्त पर होगा तथा इसमें विभेदक तिथि (CUT OFF DATE) पर मूल परियोजना लागत की प्रतिशत के रूप में 1.5 प्रतिशत की ऊपरी सीमा प्रतिमानक की शर्त पर पूंजीगत प्राथमिक स्पेयर्स सम्मिलित होंगे।

टिप्पणीः

आयोग द्वारा परियोजना लागत अनुमान की संवीक्षा, पूंजीगत लागत की युक्तियुक्तता, योजना वित्त पोषण, निर्माण के दौरान ब्याज, कुशल तकनीक का उपयोग तथा शुल्क के अवधारण के उद्देश्य हेतु ऐसे अन्य मामलों तक सीमित होगी।

15. अतिरिक्त पूंजीकरण :

(1) विभेदक तिथि तक वाणिज्यिक परिचालन की तिथि के पश्चात् वास्तव में हुए कार्य की मूल परिधि के भीतर निम्नलिखित पूंजीगत व्यय, कुशल जांच के अधीन आयोग द्वारा स्वीकार किये जाएंगे:—

(क) आस्थगित देयताए,

(ख) निष्पादन हेतु आस्थगित कार्य,

(ग) विनियम 14 में विनिर्दिष्ट ऊपरी सीमा की शर्त पर कार्य की मूल परिधि में प्रारंभिक पूंजीगत स्पेयर्स का प्रापण (Procurement),

(घ) माध्यस्थम् का अधिनिर्णय पूरा करने या न्यायालय के आदेश या डिक्री के अनुपालन हेतु देयताएं।

(ङ) विधि में परिवर्तन के कारण :

परन्तु, व्यय के अनुमान के साथ कार्य की मूल परिधि, अनंतिम शुल्क हेतु आवेदन के साथ जमा की जाएगी।

साथ ही यह भी कि, आस्थगित देयताओं व निष्पादन हेतु आस्थगित कार्यों की एक सूची, उत्पादक स्टेशन के वाणिज्यिक परिचालन की तिथि के पश्चात्, अंतिम शुल्क हेतु आवेदन के साथ जमा की जाएगी।

(2) इस विनियम के उपविनियम (3) के उपबंधों के अधीन, निम्नलिखित स्वभाव का पूंजीगत व्यय जो विभेदक तिथि के पश्चात् वास्तव में हुआ हो, कुशल जांच के अधीन आयोग द्वारा स्वीकार किया जाएगा :–

(क) कार्य की मूल परिधि के भीतर कार्यों/सेवाओं से संबंधित आस्थगित देयताएं;

(ख) माध्यस्थम् का अधिनिर्णय पूरा करने या न्यायालय के आदेश या डिक्री के अनुपालन हेतु देयताएं;

(ग) विधि में परिवर्तन के कारण; तथा

(घ) कोई अतिरिक्त कार्य/सेवाएं जो उत्पादक स्टेशन के दक्ष व सफल परिचालन के लिए आवश्यक हो गए हों किन्तु मूल पूंजीगत लागत में सम्मिलित न किये गये हों।

(3) विभेदक तिथि के पश्चात् क्रय किये गये औजार व सामान, पर्सनल कम्प्यूटर्स, फर्नीचर, एयर कंडीशनर्स, वोल्टेज स्टेबलाइजर्स, कूलर्स, पंखे, टी0वी0, वॉशिंग मशीन्स, हीट कन्वेक्टर्स, गद्दे, गलीचे इत्यादि जैसे छोटे सामान परिसंपत्तियां प्राप्त करने में हुआ कोई व्यय, 01.04.2007 से प्रभावी शुल्क के अवधारण हेतु अतिरिक्त पूंजीकरण के लिए विचारित नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी :

मदों की संख्या केवल दृष्टांत स्वरूप है, यह पूर्ण नहीं है।

(4) शुल्क संशोधन के अतिरिक्त पूंजीकरण का प्रभाव, विभेदक तिथि के पश्चात् शुल्क के संशोधन सहित एक शुल्क अवधि में दो बार आयोग द्वारा विचारित किया जाएगा।

टिप्पणी 1 :

कोई व्यय जो कार्य की मूल परिधि के भीतर वचनबद्ध दायित्वों के कारण स्वीकार किया गया हो तथा व्यय जो तकनीकी–आर्थिक आधार पर आस्थगित हो, किन्तु कार्य की मूल परिधि में आता हो, विनियम 17(1) में इंगित तरीके से प्राप्त प्रतिमानकीय ऋण इक्विटी अनुपात में उपयोग किया जाएगा।

टिप्पणी 2 :

पुरानी परिसंपत्तियों के बदलने पर हुआ कोई व्यय, इस विनियम के उपविनियम (3) में सूचीबद्ध मदों के अतिरिक्त मूल पूंजीगत लागत में से मूल परिसंपत्तियों से कुल मूल्य को बट्टेखाते में डालकर विचारित किया जाएगा।

टिप्पणी 3 :

नये कार्य के कारण शुल्क के अवधारण हेतु आयोग द्वारा स्वीकार किया गया कोई व्यय जो कार्य की मूल परिधि में न हो, विनियम 17(1) में विनिर्दिष्ट प्रतिमानकीय ऋण इक्विटी अनुपात में उपयोग किया जाएगा।

टिप्पणी 4 :

नवीयन, आधुनिकीकरण या जीवन विस्तार पर आयोग द्वारा स्वीकार किया गया कोई व्यय, मूल पूंजीगत लागत में से बदली हुई परिसंपत्तियों की मूल राशि बट्टे खाते में डालने के पश्चात् विनियम 17(1) में विनिर्दिष्ट प्रतिमानक ऋण इक्विटी अनुपात पर उपयोग किया जाएगा।

16. अशक्त ऊर्जा (**Infirm Power**) का विक्रय :

अशक्त ऊर्जा के विक्रय से उत्पादक कंपनी द्वारा अर्जित कोई राजस्व (ईंधन लागत की वसूली से इतर कोई अन्य) पूंजीगत लागत में कमी के रूप में लिया जाएगा तथा राजस्व के रूप में नहीं माना जाएगा।

17. ऋण–इक्विटी अनुपात :

(1) समस्त उत्पादक स्टेशनों के मामले में शुल्क अवधारण हेतु वाणिज्यिक परिचालन की तिथि पर ऋण–इक्विटी अनुपात 70:30 होगा। जहां इक्विटी 30 प्रतिशत से अधिक लगी है, वहां शुल्क के अवधारण हेतु इक्विटी की

राशि 30 प्रतिशत तक सीमित रहेगी तथा शेष राशि प्रतिमानकीय ऋण के रूप में विचारित की जाएगी :

किन्तु ऐसे मामले में जहां वास्तव में लगी हुई इक्विटी 30 प्रतिशत से कम है, वहां वास्तविक ऋण व इक्विटी शुल्क के अवधारण हेतु विचारित की जाएगी।

(2) उपविनियम (1) के अनुसार प्राप्त ऋण व अनुपात राशियों का ऋण पर ब्याज, इक्विटी पर वापसी, अवक्षय के सापेक्ष अग्रिम की गणना के लिए उपयोग किया जाएगा।

अध्याय–4 : क्षमता (स्थायी) प्रभारों की गणना

18. शुल्क के अंग :

(1) एक खोई आधारित ऊर्जा स्टेशन से विद्युत के विक्रय के लिए शुल्क (रु0/कें.डब्ल्यू.एच.) में दो अंग समाहित होंगे:– क्षमता (स्थायी) प्रभारों की दर तथा ऊर्जा (परिवर्तनीय) प्रभारों की दर।

(2) वार्षिक क्षमता (स्थायी) प्रभारों में निम्नलिखित का समावेश होगा :–

(ए) ऋण पूंजी पर ब्याज,

(बी) अवक्षय के सापेक्ष अग्रिम सहित अवक्षय (Depreciation),

(सी) इक्विटी पर वापसी,

(डी) परिचालन व अनुरक्षण व्यय, तथा

(ई) कामकाज पूंजी पर व्यय।

(3) ऊर्जा (परिवर्तनीय) प्रभारों में ईंधन लागत सम्मिलित होगी।

19. ऋण पूंजी पर ब्याज :

(1) ऋण पूंजी पर ब्याज की गणना, विनियम में 17(1) में इंगित तरीके से प्राप्त ऋणों समेत ऋणवार की जायेगी।

(2) 01.04.2007 पर बकाया ऋण इस प्रकार निकाला जायेगा:–

(3) उपरोक्त उप विनियम (1) के अनुसार कुल ऋण में से 31.03.2007 तक आयोग द्वारा स्वीकार संचयी पुनर्भुगतान को घटाकर भविष्य के पुर्नभुगतान प्रतिमानकीय आधार पर निकाले जायेंगे।

(4) जब तक कि ऋण की अदला–बदली से फायदाग्राहियों को शुद्ध लाभ होता हो, उत्पादक कंपनी इसके लिये पूरा प्रयास करेगी। ऐसी अदला–बदली की लागत फायदाग्राही द्वारा उठायी जायेगी।

(5) ऋणों की निबंधन व शर्तों में परिवर्तन ऐसी अदला–बदली की तिथि से प्रक्षेपित किये जायेंगे तथा इसके नाम–फायदाग्राहियों को दिये जायेंगे।

(6) किसी विवाद की स्थिति में, कोई भी पक्ष उचित आवेदन के साथ आयोग को संपर्क कर सकते हैं। तथापि, ऋण की अदला–बदली से संबंधित किसी विवाद के लंबित रहने की अवधि में उत्पादक कंपनी को आयोग द्वारा आदेश किये गये किसी भुगतान को फायदाग्राही नहीं रोकेगा।

(7) यदि उत्पादन कंपनी द्वारा किसी अधिस्थगन काल का उपयोग किया गया है तो अधिस्थगन के वर्षों के दौरान शुल्क हेतु उप बंधित अवक्षय, उन वर्षों की अवधि में पुनर्भुगतान के रूप में माना जायेगा तथा ऋण पूंजी पर ब्याज की गणना तदनुसार की जायेगी।

(8) ऋण की अदला–बदली तथा ऋण पर ब्याज के कारण उत्पादक कंपनी कोई लाभ नहीं लेगी।

20. अवक्षय (**Depreciation**) :

(1) अवक्षय के उद्देश्य हेतु शून्य आधार परिसंपत्ति ही ऐतिहासिक लागत होगी।

(2) अवक्षय की गणना परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा प्रणाली (Straight Line Method) के आधार पर वार्षिक रूप से की जायेगी तथा दरें, इन विनियमों के परिशिष्ट–1 में निर्धारित किये अनुसार होंगी।

(3) परिसंपत्ति का अवशिष्ट जीवन 10 : समझा जायेगा तथा परिसम्पत्ति की ऐतिहासिक पूंजीगत लागत के अधिकतम 90 : तक अवक्षय अनुमन्य होगा। भूमि एक अवक्षयीय परिसंपत्ति नहीं है तथा परिसंपत्ति की ऐतिहासिक लागत से 90 : की गणना करते समय इसकी लागत पूंजी लागत में सम्मिलित नहीं की जायेगी।

(4) सम्पूर्ण ऋण का पुनर्भुगतान हो जाने पर अवशेष अवक्षयीय मूल्य, परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन में विभक्त कर दिया जायेगा।

(5) अवक्षय, परिचालन के प्रथम वर्ष से प्रभारित होगा। यदि परिसंपत्ति का परिचालन वर्ष के एक भाग में हो तो अवक्षय यथानुपात आधार पर प्रभारित किया जायेगा।

21. अवक्षय के सापेक्ष अग्रिम (ए.ए.डी.) :

अनुमन्य अवक्षय के अतिरिक्त, उत्पादक कंपनी, अवक्षय के सापेक्ष अग्रिम की हकदार होगी जिसकी गणना निम्नलिखित तरीके से की जायेगी :–

ए.ए.डी.=विनियम 17(1) के अनुसार ऋण राशि के 1/0 की उपरी सीमा के अधीन अविनियम 19(2) के अनुसार ऋण पुनर्भुगतान राशि में अनुसूची के अनुसार अवक्षय घटा कर किन्तु अवक्षय के सापेक्ष अग्रिम की अनुमति केवल तभी होगी जब किसी वर्ष विशेष तक संचयी पुनर्भुगतान उस वर्ष तक संचयी अवक्षय से अधिक हो।

साथ ही यह भी कि एक वर्ष के अवक्षय के सापेक्ष अग्रिम, उस वर्ष तक संचयी अवक्षय तथा संचयी पुनर्भुगतान के मध्य के अंतर तक सीमित रहेगा।

22. इक्विटी पर वापसी :

इक्विटी पर वापसी की गणना विनियम 17 के अनुसार अवधारित इक्विटी आधार पर की जायेगी तथा 14: वार्षिक की दर से होगी।

स्पष्टीकरण :

शेयर पूंजी जारी करते समय उत्पादक कंपनी द्वारा किया गया प्रीमियम तथा परियोजना की फंडिंग के लिए वर्तमान उत्पादक स्टेशन की खुली आरक्षितियों से सृजित आंतरिक संसाधन, यदि कोई है, इक्विटी पर वापसी की गणना के उद्देश्य से प्राप्त पूंजी के रूप में लिए जायेंगे, बशर्ते कि ऐसी शेयर पूंजी, प्रीमियम राशि व आंतरिक संसाधनों का उपयोग वास्तव में उत्पादक स्टेशन के पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए किया जाये तथा अनुमोदित वित्तीय पैकेज का अंश संरक्षित करता हो।

23. परिचालन व अनुरक्षण व्यय :

(1) 5 वर्ष से अधिक आयु के संयत्रों के लिए–

(क) वर्तमान उत्पादक स्टेशनों के लिए जो कि 2006–07 के आधार वर्ष में 5 वर्ष से अधिक परिचालन में रहे हैं, बीमा सहित परिचालन व अनुरक्षण व्यय, आयोग की प्रज्ञावान जांच के पश्चात् असामान्य परिचालन व अनुरक्षण व्ययों यदि कोई हैं, को छोडकर परीक्षित तुलन–पत्र (Audited Balance Sheet) पर आधारित वर्ष 2001–02 से 2005–06 तक के लिए वास्तविक परिचालन व अनुरक्षण व्ययों के आधार पर निकाला जायेगा।

(ख) वर्ष 2003–04 के लिए परिचालन व अनुरक्षण के रूप में माने गये वर्ष 2001–02 से 2005–06 के लिए, आयोग की प्रज्ञावान जांच के पश्चात् ऐसे सामान्यीकृत परिचालन व अनुरक्षण व्ययों का औसत, आधार वर्ष 2006–07 के लिए परिचालन व अनुरक्षण व्यय प्राप्त करने के लिए 4 : प्रति वर्ष की दर पर स्वतः वृद्धि की जायेगी।

(ग) शुल्क अवधि के अनुसंगत वर्ष हेतु परिचालन व अनुरक्षण व्ययों को ज्ञात करने के लिए, वर्ष 2006–07 के लिए आधार परिचालन व अनुरक्षण व्यय में 4% वार्षिक दर से और वृद्धि की जायेगी।

(2) 5 वर्ष से कम आयु के संयंत्रों के लिए–

खोई आधारित को–जेनरेटिंग स्टेशन्स जो कि 5 वर्ष से विद्यमान हैं, उन्हें प्रवर्तन के वर्ष में आधार परिचालन व अनुरक्षण व्यय रु0 3.50 करोड/एम डब्लू की ऊपरी सीमा के अधीन वास्तविक पूंजीगत लागत के 3.5 : पर

अनुमन्य होंगे तथा अनुसंगत वर्ष के लिए परिचालन व अनुरक्षण व्यय ज्ञात करने के लिए इसमें अगले वर्ष से 4% वार्षिक की दर से वृद्धि की जायेगी।

24. कामकाज पूंजी पर ब्याज :

(1) कामकाज पूंजी में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :—

(क) 1 माह हेतु खोई की लागत,

(ख) एक माह हेतु परिचालन व अनुरक्षण व्यय,

(ग) वाणिज्यिक परिचालन की तिथि से 6% वार्षिक की दर से वृद्धि कर एतिहासिक लागत से 1% की दर से अनुरक्षण स्पेयर्स,

(ङ) विद्युत के विक्रय हेतु 2 माह हेतु परिवर्तनीय व स्थिर प्रभारों के बराबर प्राप्तियां।

(2) कामकाज पूंजी पर ब्याज की दर, 1.4.2007 या इस वर्ष के 1 अप्रैल को जिस उत्पादन यूनिट/स्टेशन वाणिज्यिक परिचालन से अधीन घोषित किया गया है, दोनों में से जो बाद में हो, उस पर भारतीय स्टेट बैंक की लघु अवधि प्राईस लैंडिंग दर होगी। उत्पादन कंपनी के किसी वाह्य अधिकरण से कोई कामकाज पूंजी ऋण के न लेने पर भी कामकाज पूंजी पर ब्याज प्रतिमानकीय आधार पर देय होगा।

25. क्षमता (स्थिर) प्रभार :

(1) वार्षिक क्षमता (स्थिर) प्रभारों (एएफसी) में विनियम 18(2) में सूचीबद्ध घटक सम्मिलित होंगे।

(2) आयोग द्वारा अनुमन्य व कंपनी की परिसंपत्तियों के उपयोग में संलग्न प्रभारों के माध्यम के अतिरिक्त अन्य आय को शुल्क अवधारण करते समय उचित रूप से हिसाब में लिया जायेगा।

(3) वसूलीय क्षमता (स्थिर) प्रभार, निम्नलिखित फार्मूला द्वारा केवल लक्ष्य पी.एल.एफ. तक उत्पादक स्टेशन से प्रेषित "एक्स–बस" ऊर्जा से आधार पर ज्ञात किया जायेगा:—

क्षमता (स्थिर) प्रभार (रु0) = क्षमता (स्थिर) प्रभारों की दर (रु0/के.डब्लू.एच. में) x लक्ष्य वार्षिक पी.एल.एफ. (PLF_n) तक प्रेषित ऊर्जा (एक्स–बस) (के डब्लू. एच. में)

जबकि,

क्षमता (स्थिर) प्रभारों की दर (आर.एफ.सी.) की गणना निम्नानुसार की जाएगी :—

$$\text{आर.पी.सी. (रु0 प्रति के0डब्लू0एच0)} = \frac{10 \times \text{ए. एफ. सी.}}{\text{आई.सी.} \times \{100-(\text{आक्जि}_{\text{एन}})\} \times \text{डी} \times 24 \times \text{पी.एल.एफ.}_{\text{एन}}}$$

ए. एफ. सी. = वार्षिक क्षमता (स्थिर) प्रभार रु0 में

आई. सी. = संस्थापित क्षमता एम. डब्लू. में

एयू.एक्स.एन. = कुल उत्पादन का % के रूप में प्रतिमानकीय अनुषंगी ऊर्जा उपयोग

डी. = वर्ष में दिनों की संख्या

पी.एल.एफ.एन. = लक्ष्य वार्षिक पी.एल.एफ. प्रतिशत में

अध्याय–5 : ऊर्जा (परिवर्तनीय) प्रभारों की गणना

26. ऊर्जा (परिवर्तनीय) प्रभार :

ऊर्जा (परिवर्तनीय) प्रभारों में ईंधन लागत सम्मिलित होगी तथा इसे निम्नलिखित फार्मूले के अनुसार, उत्पादक स्टेशन से प्रेषित एक्स–बस ऊर्जा के आधार पर ज्ञात किया जायेगा :—

ऊर्जा प्रभार (रु0) = ऊर्जा प्रभारों की दर (रु0/के.डब्लू.एच.) × प्रेषित ऊर्जा (एक्स–बस) (के.डब्लू.एच.) में

जबकि,

ऊर्जा प्रभारों की दर, (आर.ई.सी.) (रु0/के.डब्लू.एच. में) विद्युत का एक के.डब्लू.एच. एक्स–बस प्रेषित करने के लिए ईंधन अर्थात खोई की प्रतिमानकीय मात्राओं की लागत होगी तथा इसकी निम्नानुसार गणना की जायेगी :–

$$\text{आर.ई.सी. (रु0/के.डब्लू.एच.)} = \frac{100 \times \text{पी.बी.} \times \text{क्यू.एन.}}{\{100-(\text{ओक्जि}_{\text{एन}})\}}$$

जबकि,

पी.बी. = विनियम 27 के अनुसार खोई की लागत रु0/के.जी. में

क्यू.एन. = उत्पादक टर्मिनल्स पर विद्युत के एक के.डब्लू.एच. में उत्पादन हेतु आवश्यक खोई की मात्रा के.जी. में तथा इसकी गणना प्रतिमानकीय कुल स्टेशन ताप दर तथा प्रज्वलित रूप में, खोई प्रतिमानकीय कुल ऊष्मा मूल्य तथा यह 1.45 के.जी./के.डब्लू.एच. के बराबर होगा।

ए.यू.एक्स.एन. = कुल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में प्रतिमानकीय अनुषंगी ऊर्जा उपयोग।

27. खोई (**Bagasse**) की लागत :

(1) उत्तरी क्षेत्र जो खोई की उच्चतम लागत प्रदान करता है, में पिट हेड स्टेशन के लिए तद्नुरूप अवधि हेतु केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित खोई के लिए 2275/के.जी. के जी.सी.वी. हेतु कोयले (गौण) ईंधन तेल सहित) के ताप शून्य के बराबर रु0/के.जी. के अनुसार खोई की लागत ली जायेगी तथा उसकी गणना निम्नानुसार की जायेगी :–

$$\text{खोई का मूल्य (Rs./kg.) } Pb = \frac{(100\text{-}A.U.X._c)}{100} \times \frac{G.C.V._n}{G.S.H.R._c} \times R.E.C._c$$

जबकि,

जी.एस.एच.आर.$_{\text{सी}}$ = कोयला आधारित संयंत्र के लिए कुल स्टेशन ताप दर (प्रतिमानकीय) (कि.केलोरी प्रति के.डब्लू.एच.)

आर.ई.सी.$_{\text{सी}}$ = कोयला आधारित संयंत्र में ए.यू.एक्स.$_{\text{सी}}$ (एक्स–बस) के पश्चात् ऊर्जा की दर (रु0 प्रति के.डब्लू.एच.)

ए.यू.एक्स.$_{\text{सी}}$ =कोयला आधारित संयंत्र में अनुषंगी उपभोग (प्रतिमानकीय) (प्रतिशत में)

(2) पिट हैड स्टेशन के लिए ईंधन मूल्य समायोजन के कारण खोई की लागत का समायोजन–

सी.ई.आर.सी. द्वारा अवधारित ऊर्जा प्रभार की दर के आधार पर मूल्य में कोई परिवर्तन, वास्तविक कुल ऊष्मा मूल्य व ईंधन मूल्य समायोजन (एफ.पी.ए.) के माध्यम से उपयोग किये गये तरल ईंधन या कोयले की लागत के आधार पर माह दर माह समायोजित किया जाता है। सी.ई.आर.सी. द्वारा अवधारित ऊर्जा प्रभार की दर के आधार पर गणना की गयी खोई की लागत का आधार स्तर, खोई की लागत के अवधारण हेतु उत्तरी क्षेत्र में पिट हैड स्टेशन के लिए एफ.पी.ए. (रु0/के.डब्ल्यू.एच.) के आधार पर समायोजन की शर्त पर होगा।

अध्याय—4 : विविध

28. प्रोत्साहन :

ऊपर परिकलित की गयी ऊर्जा प्रभार की दर के अतिरिक्त लक्ष्य संयंत्र भार कारक (Target Plant Load Factor) के तदनुरूप एक्स बस ऊर्जा में प्रेषित एक्स ऊर्जा के लिए तापीय उत्पादक स्टेशनों हेतु सी.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित दरों पर एक प्रोत्साहन देय होगा।

29. अपवाद :

इन विनियमों में अभिव्यक्त या विवक्षित कुछ भी, अधिनियम के किसी शक्ति के प्रयोग या किसी मामले के निपटारे में आयोग को वर्जित नहीं करेगा, जिसके लिए कोई विनियम संरचित नहीं किये गये हैं तथा आयोग ऐसे मामलों, शक्तियों, कृत्यों से इस प्रकार निपट सकेगा जैसा वह सही व उचित समझे।

30. कठिनाईयां दूर करने की शक्ति :

यदि इन विनियमों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो आयोग अपने स्वयं के प्रस्ताव द्वारा या अन्यथा, आदेश द्वारा तथा ऐसे आदेश से संभावित रूप से प्रभावित होने वालों को उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात्, जो इन विनियमों से असंगत न हों व कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों, ऐसे प्रस्ताव बना सकेगा।

31. शिथिलता हेतु शक्ति :

आयोग, कारणों को लिखित में अभिलिखित कर, स्वयं के प्रस्ताव से या हितबद्ध व्यक्ति द्वारा इसके समक्ष आवेदन करने पर इन विनियमों के किसी उपबंध में शिथिलता या परिवर्तन कर सकता है।

परिशिष्ट—1

अवक्षय अनुसूची

परिसंपत्तियों का वर्णन	उपयोगी जीवन (वर्ष)	दर (परिगणित डब्ल्यू.आर.टी. 90%)	अनुमोदित अवक्षय (%)
1	2	3	4
अ) पूर्ण हक के अधीन स्वामित्वाधीन भूमि	अनन्त		
ब) लीज के अधीन धारित भूमि			
क) भूमि में निवेश हेतु	लीज के समनुदेशन पर या लीज की अवधि या शेष अनर्वसित अवधि		
ख) स्थल सफाई की लागत हेतु	स्थल की सफाई की तिथि पर शेष अनर्वसित लीज की अवधि		
स) परिसम्पत्तियां			
नवीन क्रय की गयी :			
क) संयंत्र संस्थापन सहित उत्पादक स्टेशन में संयंत्र व मशीनरी :			

1	2	3	4
i) हाइड्रोइलैक्ट्रिक	35	2.57	90
ii) स्टीम इलैक्ट्रिक एन.एच.आर.एस. व वेस्टहीट रिकवरी बॉयलर्स/संयंत्र	25	3.60	90
iii) डीजल–इलैक्ट्रिक व गैस संयंत्र	15	6.00	90
ख) कूलिंग टावर्स व सर्कुलेटिंग वाटर प्रणाली	25	3.60	90
ग) हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रणाली भाग संरचित करने वाले हाइड्रॉलिक कार्य जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:			
i) बांध, स्पिलवेज वीयर्स, नहरें, रेनफोर्स्ड कंक्रीट फ्लूम्स व सायफन्स	50	1.80	90
ii) रेनफोर्स्ड कंक्रीट पाईप लाइन्स व सर्ज टैंक्स, स्टील पाईप लाईन्स, स्लूस गेट्स, स्टील सर्ज (टैंक्स) हाइड्रॉलिक कन्ट्रोल वॉल्व्ज व अन्य हाइड्रॉलिक कार्य	35	2.57	90
घ) स्थायी चरित्र का सिविल इन्जीनियरिंग कार्य व भवन जो ऊपर उल्लिखित नहीं किया गया है:			
i) कार्यालय व शोरूम	50	1.80	90
ii) थर्मो इलैक्ट्रिक उत्पादक संयंत्र समाहित	25	3.60	90
iii) हाइड्रो इलैक्ट्रिक उत्पादक संयंत्र समाहित	35	2.57	90
iv) अस्थाई इरैक्शन जैसे कि वुडन स्ट्रक्चर	5	18.00	90
v) कच्चे मार्गों के अलावा अन्य मार्ग	50	1.80	90
vi) अन्य	50	1.80	90
ङ) ट्रांसफॉर्मर्स, ट्रांसफॉर्मर (किऑस्क) उपस्टेशन उपकरण व अन्य स्थिर उपस्कर (संयंत्र संस्थापन सहित) :			
i) 100 किलोवोल्ट एम्पियर्स व अधिक की रेटिंग वाले ट्रांसफॉर्मर (संस्थापन सहित)	25	3.60	90
ii) अन्य	25	3.60	90
च) केबल कनेक्शन सहित स्विचगियर	25	3.60	90
छ) लाइटनिंग एरेस्टर्स :			
i) स्टेशन टाईप	25	3.60	90
i) पोल टाईप	15	6.00	90
iii) सिंक्रोन्स कंडेंसर	35	2.57	90
ज) बैटरीज :			
i) जॉइन्ट बॉक्सेज व डिसकनेक्टेड बॉक्सेज सहित अंडरग्राउण्ड केबल	35	2.57	90
ii) केबल डक्ट सिस्टम	50	1.80	90

1		2	3	4
झ)	समर्थन सहित ओवर हैड लाईन्स :			
	i) 66 के0वी0 से ऊंची नॉमिनल वोल्टेज पर परिचालित फैब्रिकेटेड स्टील पर लाईन्स	35	2.57	90
	ii) 13.2 किलो वोल्ट्स से ऊंची नॉमिनल वोल्टेज पर परिचालित स्टील सपोर्ट पर लाइनें जो 66 किलो वोल्टस से अधिक न हों	25	3.60	90
	iii) स्टील या रिइन्फोर्स्ड कंक्रीट सपोर्ट पर लाइनें	25	3.60	90
	iv) ट्रीटेज वुड सपोर्ट पर लाइनें	25	3.60	90
ञ)	मीटर्स	15	6.00	90
ट)	सैल्फ प्रोपेल्ड वेहिकल्स	5	18.00	90
ठ)	एयर कंडीशनिंग संयंत्र :			
	i) स्थिर	15	6.00	90
	ii) पोर्टेबल	5	18.00	90
ड)	i) कार्यालय फर्नीचर व फिटिंग्स	15	6.00	90
	ii) कार्यालय उपकरण	15	6.00	90
	iii) फिटिंग्स व उपकरणों सहित आंतरिक वायरिंग	15	6.00	90
	iv) स्ट्रीट लाईट फिटिंग्स	15	6.00	90
ढ)	किराये पर दिये उपकरण :			
	i) मोटर के अलावा अन्य	5	18.00	90
	ii) मोटर	15	6.00	90
ण)	संचार उपकरण :			
	i) रेडियो तथा हायर फ्रीक्वेन्सी कैरियर सिस्टम	15	6.00	90
	ii) टेलीफोन लाईन्स व टेलीफोन	15	6.00	90
त)	सैकेण्ड हैण्ड क्रय की गयी परिसंपत्तियां व अनुसूची में अन्यथा प्रदान न की गयीं परिसम्पत्तियां	ऐसी उचिव अवधि जैसी कि सरकार, स्वामी द्वारा परिसम्पत्तियों के अर्जन के समय पर इसकी आयु, परिस्थिति व स्वभाव का ध्यान रखते हुए अवधारित करें।		

आयोग के आदेश द्वारा,

आनन्द कुमार,

सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग।